DoIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक–एफ 2(898)डीओआईटी/संस्था/11/ML-1543/2023 जयपुर, दिनांकः 06/09/2023

अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक,
एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)
समस्त जिला, राजस्थान।

विषयः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है किकार्मिक विभाग के अनुदेश क्रमांक प.13(51)का/क–1/गो.प्र./2008 दिनांक 30.03.2022 एवं 22.04.2022 के द्वारा राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफटवेयर के माध्यम से भरे जाने एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि भरे जाने हेतु स्वप्रेषण का प्रावधान (Auto Forward) लागु किया जा चुका है।

उक्त प्रावधान उपरांत भी कतिपय अधिकारियों द्वारा उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदक/समीक्षा स्तर से निश्चित समयावधि में नहीं भरे जाने से बिना टिप्पणी के अग्रेषित हो रही है। अतः कार्मिकों के प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर अपनी टिप्पणी सहित अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वप्रेषण प्रावधान के अन्तर्गत बिना टिप्पणी के अग्रेषित ना हो।

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

6/9/2023
सहायक प्रशासनिक अधिकारी